



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112020-223316
CG-DL-E-26112020-223316

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3718|
No. 3718|

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 2020/अग्रहायण 4, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2020/AGRAHAYANA 4, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2020

का.आ. 4222(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में NH965G के कि.मी. 0 से कि.मी. 22.175 (किल्ला बाग मंगलवेढा सोलापूर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिविशनल ऑफिसर मंगलवेढा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में NH965G के कि.मी. 0 से कि.मी.22.175 (किल्ला बाग मंगलवेढा सोलापुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: सोलापूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: सांगोला					
गांव का नाम: कदालास					
1	789	निजी	ड्राई	0.0134000(हेक्टेयर)	0.0134000
2	790	निजी	ड्राई	0.0260000(हेक्टेयर)	0.0260000
3	793	निजी	ड्राई	0.0117000(हेक्टेयर)	0.0117000
4	794	निजी	ड्राई	0.0284000(हेक्टेयर)	0.0284000
5	795	निजी	ड्राई	0.0373000(हेक्टेयर)	0.0373000
6	796	निजी	ड्राई	0.0310000(हेक्टेयर)	0.0310000
7	797	निजी	ड्राई	0.0270000(हेक्टेयर)	0.0270000
8	798	निजी	ड्राई	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
9	799	निजी	ड्राई	0.0213000(हेक्टेयर)	0.0213000
गांव का नाम: लोनविरे					
1	339	निजी	ड्राई	0.0145000(हेक्टेयर)	0.0145000
2	343	निजी	ड्राई	0.0016000(हेक्टेयर)	0.0016000
3	344	निजी	ड्राई	0.0278000(हेक्टेयर)	0.0278000
4	346	निजी	ड्राई	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
गांव का नाम: सांगोला					
1	143	निजी	ड्राई	0.0360000(हेक्टेयर)	0.0360000
गांव का नाम: सोनंद					
1	1647	निजी	ड्राई	0.0054000(हेक्टेयर)	0.0054000

2	1648	निजी	ड्राई	0.0270000(हेक्टेयर)	0.0270000
3	1649	निजी	ड्राई	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
4	1651	निजी	ड्राई	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
5	1653	निजी	ड्राई	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
6	603	निजी	ड्राई	0.0164000(हेक्टेयर)	0.0164000
7	609	निजी	ड्राई	0.0096000(हेक्टेयर)	0.0096000
8	610	निजी	ड्राई	0.0093000(हेक्टेयर)	0.0093000
9	611/2	निजी	वेट	0.0036000(हेक्टेयर)	0.0036000
10	613	निजी	ड्राई	0.0007000(हेक्टेयर)	0.0007000
11	626	निजी	ड्राई	0.0555000(हेक्टेयर)	0.0555000
12	648	निजी	ड्राई	0.0034000(हेक्टेयर)	0.0034000
कुल				0.5869	0.5869

[फा. सं. RW/NH-2014/155/2017-MAH-ZONE IV/3A4]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th November, 2020

S.O. 4222(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH965G in the stretch of land from Km 0 to Km22.175 (Killa Bag Mangalwedha Solapur) in the district of SOLAPUR in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer Mangalwedha in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH965G in the stretch of land from NH965G Km 0 to Km22.175 (Killa Bag Mangalwedha Solapur) in the district of SOLAPUR in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA		District: SOLAPUR			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Sangola					
Village: Kadlas					
1	789	Private	Dry	0.0134000(Hectare)	0.0134000
2	790	Private	Dry	0.0260000(Hectare)	0.0260000
3	793	Private	Dry	0.0117000(Hectare)	0.0117000
4	794	Private	Dry	0.0284000(Hectare)	0.0284000
5	795	Private	Dry	0.0373000(Hectare)	0.0373000
6	796	Private	Dry	0.0310000(Hectare)	0.0310000
7	797	Private	Dry	0.0270000(Hectare)	0.0270000
8	798	Private	Dry	0.0150000(Hectare)	0.0150000
9	799	Private	Dry	0.0213000(Hectare)	0.0213000
Village: Loanvire					
1	339	Private	Dry	0.0145000(Hectare)	0.0145000
2	343	Private	Dry	0.0016000(Hectare)	0.0016000
3	344	Private	Dry	0.0278000(Hectare)	0.0278000
4	346	Private	Dry	0.0050000(Hectare)	0.0050000
Village: Sangola					
1	143	Private	Dry	0.0360000(Hectare)	0.0360000
Village: Sonand					
1	1647	Private	Dry	0.0054000(Hectare)	0.0054000
2	1648	Private	Dry	0.0270000(Hectare)	0.0270000
3	1649	Private	Dry	0.0600000(Hectare)	0.0600000
4	1651	Private	Dry	0.0900000(Hectare)	0.0900000
5	1653	Private	Dry	0.0100000(Hectare)	0.0100000
6	603	Private	Dry	0.0164000(Hectare)	0.0164000
7	609	Private	Dry	0.0096000(Hectare)	0.0096000
8	610	Private	Dry	0.0093000(Hectare)	0.0093000

9	611/2	Private	Wet	0.0036000(Hectare)	0.0036000
10	613	Private	Dry	0.0007000(Hectare)	0.0007000
11	626	Private	Dry	0.0555000(Hectare)	0.0555000
12	648	Private	Dry	0.0034000(Hectare)	0.0034000
Total				0.5869	0.5869

[F. No. RW/NH-2014/155/2017-MAH-ZONE IV/3A4]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.